निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 वैशाख 1937 (श0)

(सं0 पटना 540) पटना, बुधवार, 6 मई 2015

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

6 मई 2015

सं0 एल0जी0-1-12/2014/68 लेजः।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 29 अप्रील, 2015 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2015

(बिहार अधिनियम 11, 2015)

बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010(बिहार अधिनियम 12, 2010) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत–गणराज्य के छियासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।–(1) यह अधिनियम बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो, सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाय।

2. बिहार अधिनियम 12, 2010 की धारा–31 में संशोधन।– उक्त अधिनियम, 2010 की धारा–31 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगीः–

"31 (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक लेखा विवरणी, कुलपति के निदेशाधीन नियंत्रक द्वारा तैयार की जाएगी और सभी प्रकार के स्त्रोतों से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत एवं प्राप्त सभी धन और विश्वविद्यालय द्वारा संवितरित एवं भुगतान किए गए सभी धन लेखा में दर्ज किया जायेगा।

(2) (i) विश्वविद्यालय के लेखा की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा, समय–समय पर, किया जायेगा। राज्य सरकार भी, आवश्यकतानुसार, इस निमित नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा उक्त लेखा की लेखापरीक्षा करवा सकेगी।

(ii) लेखा, लेखापरीक्षा के बाद, मुद्रित की जाएगी और कुलपति द्वारा उसकी प्रतियाँ, लेखापरीक्षण–प्रतिवेदन सहित, प्रबंधन–बोर्ड एवं कुलाधिपति को प्रस्तुत की जाएंगी।

(3) प्रबंधन–बोर्ड लेखा की प्रति एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई के विवरण के साथ प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपेगा और राज्य सरकार विधान मंडल के सदनों के समक्ष उसे उपस्थापित करवाएगी।"

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

6 मई 2015

सं0 एल0जी0–1–12/2014/69 लेजः।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा 29 अप्रील 2015 को अनुमत **बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2015** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

Bihar Agricultural University (Amendment) Act, 2015

(Bihar Act 11, 2015)

AN

ACT

To Amend the Bihar Agricultural University Act,2010 (Bihar Act,12,2010)

Be it enacted by the legislature of the state of Bihar in the sixty sixth year of the Republic of India as follows:-

1.*Short title,extent and commencement*. - (1) This Act may be called the Bihar Agricultural University(Amendment) Act 2015.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force on such date as may be appointed by the Government, by notification, in the official gazette.

2. *Amendment in Section-31 of Bihar Act 12 of 2010*. - Section-31 of the said Act 2010 shall be substituted by the following :-

"31 (1) The statement of annual accounts of University shall be prepared by the Comptroller under the direction of the Vice-Chancellor and all the money accruing to or received by a University from all kinds of sources and all amount disbursed and paid by a University shall be entered in the accounts.

(2) (i) The accounts of the University shall be audited by the Comptroller and Auditor-General of India from time to time. The State Government may also cause audit of the said accounts by a chartered Accountant appointed for the purpose as per needs.

(ii) The accounts, after audited, shall be printed and copies with the audit report shall be presented by the Vice-Chancellor to the Board of Management and to the Chancellor.

(3) The Board of Management shall submit a copy of the accounts and the report to the State Government with the statement of the action taken by a University on the audit report and the State Government shall cause the same to be laid before the Houses of the Legislature."

By order of the Governor of Bihar,
MANOJ KUMAR,
Joint Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 540-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in